



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर
मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9(07)आ.फा./न.नि.ज/15/432 दिनांक:-11-6-15

प्रेषित:-

✓ श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री बालकिशन दास गुप्ता,
श्रीमति निशा गुप्ता पत्नी श्री महेश गुप्ता,
श्री संत कृष्णा स्वामी पुत्र श्री सधा मोहन मिश्रा,
श्री चन्द गुप्ता पुत्र श्री बाल किशन गुप्ता श्री अनुराग मोदी,
पुत्र श्री विशम्भर मोदी एवं श्री आशीष मोदी पुत्र श्री विशम्भर मोदी,
निवासी प्लैट संख्या 301, कोरल एन्कलेव प्लॉट संख्या 23,
स्कीम नः 8 महादेव नगर वैशाली नगर जयपुर।

विषय:- भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 एवं भूखण्ड संख्या 46 व 47 योजना स्कीम न0 8 गाँधी पथ वैशाली नगर जयपुर में निर्मित किये जाने भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति बाबत।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2015 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 06.05.2015 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया आवेदक श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री बालकिशन दास गुप्ता व अन्य भूखण्ड संख्या 41, 42, 43 एवं भूखण्ड संख्या 46 व 47 योजना स्कीम न0 8 गाँधी पथ वैशाली नगर जयपुर में उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर/रीको द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार आवासीय बहुमंजिला भवन वर्ग सी-2 के अनुरूप फायर हाईड्रेंट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्सटीनिंग्युसर, एम.सी.पी मय हुटर,पी.ए सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम मय फायर पैनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड Nil लीटर व ओवर हैड 25 हजार लीटर क्षमता के फायर वाटर का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को, लोवर बेसमेन्ट, अपर बेसमेन्ट स्टील्ट, प्रथम फ्लोर, से नवी मजिल व टैरस तक 29.95 मीटर ऊंचाई की अस्थाई फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारो तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड